<u>न्यायालय : सिविल न्यायाधीश, कनवास जिला–कोटा (राज0)</u>

पीठासीन अधिकारी : **नमोनारायण मीना, आर.जे.एस.**

दीवानी दावा सं0 : 02 / 2018
(सी.आई.एस. नं. 2 / 2018)

जेबूनिशा पत्नि फकिर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ग्राम कनवास तहसील कनवास जिला कोटा जर्ये मुख्तार आम फकिर मोहम्मद आत्मज अब्दुल शकूर आयु 58 जाति मुसलमान निवासी कनवास तहसील कनवास जिला कोटा।

–– वादी

–:: बनाम ::–

1. बंशीलाल पुत्र रामचन्द्र उर्म 65 जाति जाट
2. परमानन्द पुत्र बंशीलाल उर्म 45 जाति जाट
   निवासीगण कनवास तहसील कनवास जिला कोटा।

–––प्रतिवादीगण

<u>वाद आदेशात्मक व्यादेश एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

<u>उपस्थितिः–</u>

01. वादी की ओर से : अधिवक्ता श्री रेवतीरमण नागर।
प्रतिवादीगण की ओर से : अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जैन।

<u>–:: निर्णय::–</u>

<u>दिनांकः–07.08.2019</u>

1. प्रकरण कें संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वादपत्र बाबत् आदेशात्मक व्यादेश एवं स्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 23.01.2018 को इस आशय का पेश किया की ग्राम कनवास में वादी जर्ये मुख्तार आम फकिर मोहममद के प्रतिवादी न0 1 को लक्ष्मीनगर पीर बाबा बस्ती में तीन भूखण्डो का विक्रय किया गया था। विक्रय का इकरार नामा पब्लिक नोटरी से तस्दीक करवाया गया था। तथा वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार प्रतिवादी को भूखण्ड संख्याा संख्या एक ई एफ जी एच मार्का से इंगित पूर्व से पश्चिम 25 फुट तथा उत्तर से दक्षिण 30 फुट कुल क्षेत्रफल 750 वर्गफुट तथा भूखण्ड व 2 सी डी आई जे मार्का से इंगित है जो पूर्व से पश्चिम 25 फुट व उत्तर से दक्षिण 40 फुट कुल क्षेत्रफल 1000 वर्ग फुट तथा तीसरे नम्बर का भूखण्ड ए बी सी जे पूर्व से पश्चिम 35 फुट व उत्तर से दक्षिण 50 फुट कुल क्षेत्रफल 1750 वर्गफुट में विक्रय किया गया था। तथा साथ ही 13 फुट चौडा रास्ता एच आई डी ई मार्का से इंगित भी इनको बेचे भूखण्डों के मध्य हाने के कारण इन्हे ही दे दिया था। तथा वादी के द्वारा वाद पत्र के साथ सलग्न नजरी नक्शे में वर्णित डी एल के ई मार्का से इंगित रास्ते पर अतिक्रमण करके एल के सीाीन पर बनाये गये दरवाजे को हटाकर रास्ते को सभी लिए खुलासा करवाने का एवं उक्त रास्ते पर किसी प्रकार की मदाखलत नहीं करने की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया।

2. वहीं प्रतिवादीगण द्वारा उक्त वादपत्र का जवाब प्रस्तुत कर वादी के वाद

को पैरा दर पैरा अस्वीकार कर निवेदन किया कि वाद पत्र में वर्णित अनुसार प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा दर्शाया गया रास्ता कोलानी का नही है, अपितु प्रतिवादीक्रम 1 का ही है, जो कि वक्त खरीद से प्रतिवादीगण के उपयोग उपभोग में है, उक्त रास्ते की भूमि में सुअर बगैरा आ जाते थे, जिससे सुरक्षा हेतु प्रतिवादीगण ने मुख्य सडक से 8–10 फुट छोडकर फाटक लगा रखा है, जो लगभग 5 वर्षो से लगा हुआ है। अतः वादीनी आदेशात्मक निषेधाज्ञा की आड़ में प्रतिवादीगण को उनके कब्जे की भूमि से बेदखल करना चाहता है, जिसके लिए उसे कब्जा वापसी का बाद प्रस्तुत करना किया है। अतः जवाब दावा पेश कर वादी का वाद निरस्त करने का निवेदन किया।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. वादी के द्वारा अपनी साक्ष्य शहादत कोई भी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य पेश नही कि है। प्रतिवादी की ओर से भी कोई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य पेश नही की गई है।

5. उपरोक्त संदर्भ में बहस उभयपक्ष सुने जाने पत्रावली के अवलोकन से उक्त वाद के न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए इस न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दू है जिनपर इस न्यायालय को निर्णयन किया जाना है। उक्त विचारणीय बिन्दू निम्नानुसार हैः–

1. आया वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की आदेशात्मक व स्थायी निषेधाज्ञा घोषणा प्राप्त करने का हकदार है कि वादी के वाद पत्र के चरण क्रम 1 व 2 में वर्णित भूखण्ड पर आने जाने हेतु रास्ता डी एल के ई रास्ते पर अतिक्रमण कर बनाये गये दरवाजे को हटाकर खुलासा करवाये तथा डी एल के ई मार्क से इंगित रास्ते के उपयोग व उपभोग में बाधा व व्यवधान उत्पन्न नही करे?

––वादी

2. आया प्रतिवादीगण विरूद्ध वादी के द्वारा वादपत्र में बतायी गई रास्ते की भूमि वादी की नही होकर प्रतिवादीगण के मिलकियत की है?

––वादी

3. अनुतोष ?

6. बहस उभयपक्ष सुने जाने एवं पत्रावली के अवलोकन करने के पश्चात इस न्यायालय द्वारा उक्त वाद के न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए जिन विचारणीय बिंदुओं का निस्तारण किया जाना है। उनके संदर्भ में बिंदुवार निस्तारण निम्नानुसार किया जा रहा है।

1. आया वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की आदेशात्मक व स्थायी निषेधाज्ञा घोषणा प्राप्त करने का हकदार है कि वादी के वाद पत्र के चरण क्रम 1 व 2 में वर्णित भूखण्ड पर आने जाने हेतु रास्ता डी एल के ई रासते पर अतिक्रमण कर बनाये गये दरवाजे को हटाकर खुलासा करवाये तथा डी एल के ई मार्क से इंगित रास्ते के उपयोग व उपभोग में बाधा व व्यवधान उत्पन्न नहीं करें?

उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार वादी पर है, जिसके लिये वादी ने अपने वादपत्र में कथन किया है कि वादी के खाते एवं मिलकियत की आबादी भूमि ग्राम कनवास में से वादीया द्वारा जर्ये मुख्तार आम फकीर मोहम्मद प्रतिवादी न0 1 को लक्ष्मीनगर पीर बाबा बस्ती में तीन भूखण्डो को विक्रय किया था। जिसकी असली कॉपी वादी के पास है। उक्त भूखण्ड तीन साइजों के भूखण्डो में बेचे गये थे। जो नजरी नक्शे से स्पष्ट है तथा कोलोनी का रास्ता जा रहा है उस पर प्रतिवादी द्वारा जबरन कब्जा कर दरवाजा बना लिया है, जिसे डी एल ई के मार्क से इंगित किया है। जिस पर प्रतिवादी न0 2 ने जबरन कब्जा कर लिया है। प्रतिवादी को भूखण्ड संख्या 1 नजरी नक्शे के अनुसार ई एफ जी एच मार्क से अंकित किया है। जिसके उत्तर से दक्षिण 30 फुट का रास्ता है। कुछ क्षेत्रफल 750 वर्गफुट है।

इसके विपरीत प्रतिवादीगण ने जबाब दावा पेश कर विवाद्यक सं0 1 के सम्बन्ध में कथन किया है कि वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के पैरा सं0 1 के तथ्य स्वीकार है लेकिन कोलोनी का रास्ता बताया है वह कालोनी का रास्ता नही है। जो खरीद के समय से ही प्रतिवादीगण के उपयोग व उपभोग में है। उक्त रास्ते की भूमि में सूअर बगैरा आ जाते है जिसकी सुरक्षा के लिए प्रतिवादीगण ने सड़क छोडकर एक फाटक लगा रखा है। प्रतिवादी ने अपने आवासीय भूखण्ड में मकान बना रखा है। उक्त रास्ते में फाटक लगाने की जानकारी आस पास के सभी भूखण्डधारियों को है। जिन्हे इससे कोई आपत्ति नही है, क्योकि वहां से होकर सूअर आ जाते है इसलिए वह सुरक्षा के लिए लगाया है। दौराने बहस प्रतिवादीगण ने कथन किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा रास्ते पर कोई भी अतिक्रमण नही किया है और वादीनी को कोई भी वाद कारण पैदा नही हुआ है। जो रास्ता है वह अभी भी यथावत् है। वादी के बदनियत आ जाने से यह वाद पेश किया है और विवाद्यक सं0 1 को साबित करने के लिए वादी के द्वारा कोई साक्ष्य पेश नही की गई है। ऐसे में वादी का वाद खारिज किया जावे।

विवाद्यक सं0 1 के सम्बन्ध में पक्षकारान् की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। इस विवाद्यक को साबित करने का भार वादी पर है लेकिन वादी की ओर से अपने

वाद पत्र के समर्थन में ना ही तो कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश है। और ना ही कोई मौखिक साक्ष्य पेश की है। जबकि वादी को यह साबित करना है कि वाद पत्र में जिस भूखण्ड और रास्ते पर किये गये अतिक्रमण को हटवाया जाना है। उसका अस्तित्व साबित करे लेकिन वादी ने प्रथम दृष्टया यह साबित नहीं किया है कि इस प्रकार का कोई भूखण्ड विघमान है। वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में कोई मौखिक साक्ष्य भी पेश नही कि है, जो वादी के वाद पत्र का समर्थन करती हो। जबकि वादी को अपना वाद पत्र स्वयं साबित करना होगा। वह प्रतिवादी की कमजोरी का फायदा नही उठा सकता। चूंकि साक्ष्य विधि का सिद्धान्त है कि वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जायेगा। यदि दोनो में से किसी भी ओर से कोई साक्ष्य न दी जाये। इस प्रकार विधि सिद्धान्तो के अनुसार वादी ने अपने वाद पत्र व विवाद्यक स01 को अपने पक्ष में साबित करने के लिए कोई भी तर्क नही दिया है। जो फोटोकॉफी मुख्तारनामा पेश किया है, वह भी प्रदर्श नही है। ना ही इकरारनामा प्रदर्श करवाया है। ऐसे में इन दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नही पढा जा सकता और कोई मौखिक साक्ष्य भी वादी की ओर से पेश नही कि गई है। ऐसे में वादी अपने विवाद्यक सं0 1 को अपने पक्ष में साबित नही कर पाया है। अतः प्रथम विवाद्यक को वादी अपने पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है।

2. आया प्रतिवादीगण विरूद्ध वादी के द्वारा वादपत्र में बतायी गई रास्ते की भूमि वादी की नही होकर प्रतिवादीगण के मिलकियत की है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादीण पर है। प्रतिवादीगण द्व ारा अपने जबाब दावे में कथन किया है कि उक्त रास्ता डीएलकेई मार्क से अंकित कर रखा है। यह उपयोग उपभोग नही किया है। उक्त रास्ते पर फाटक लगाने की जानकारी सभी को है। उक्त रास्ता प्रतिवादी के कब्जे में है। जो प्रतिवादीगण के रास्ते की भूमि है। आम रास्ता नही है। इसके विपरीत इस विवाद्यक के लिए वादी की ओर से कथन किया है कि उक्त रास्ता आगे कोलोनी में उसके भूखण्ड तक आने जाने के लिए है। जिस पर प्रतिवादीगण ताकत के बल पर कब्जा करना चाहते है। ऐसे में प्रतिवादीगण को पांबद किया जावे कि वह रास्ते पर कब्जा ना करे।

उक्त विवाद्यक के सम्बन्ध में बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी के द्वारा नजरी नक्शे में इंगित ई के एल डी रास्ते को स्वयं का होना बताया लेकिन प्रतिवादी ने उक्त विवाद्यक को अपने पक्ष में साबित करने के लिए कोई भी साक्ष्य पेश नही कि है। इस विवाद्यक के सम्बन्ध में भी दोनो ओर से कोई

साक्ष्य पेश नही की गई है। प्रतिवादी द्वारा भी ना ही तो कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश की है। ना ही कोई मोखिक साक्ष्य पेश की है। ऐसे में विवाद्यक स02 में प्रतिवादी द्वारा उक्त रास्ता उसकी मिलकियत का होने के तर्क को किसी भी रूप में साबित नही किया है। ऐसे में प्रतिवादी भी इस विवाद्यक को अपने पक्ष में साबित नही कर पाया है।

3. अनुतोष ?

उपरोक्त संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन करे तो स्पष्ट है कि वादी द्वारा विवाद्यक संख्या 1 को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। और साथ ही प्रतिवादी भी उसके विवाद्यक को अपने पक्ष में साबित नही कर पाया है। ऐसे में वादी और प्रतिवादी दोनो की ओर से ही अपने अपने विवाद्यक को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य पेश नही की है। ऐसे में वादी का वाद वादी साबित नही कर पाया है। जबकि प्रथम दृष्टया वादी को अपना वाद साबित करना था न की प्रतिवादी को लेकिन वादी की ओर से अपने वाद पत्र के समर्थन में कोई भी साक्ष्य पेश नहीं की गई है और वादी अपने विवाघक संख्या 1 को अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। विवाघक संख्या 2 के सम्बन्ध में अवलोकन करें तो प्रतिवादी अपने विवाघक संख्या 2 को भी साबित करने में असफल रहा है लेकिन उक्त वाद वादी को साबित करना था लेकिन वादी की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। इसलिए वादी ही अपना साबित नहीं कर पाया है। अतः कोई अनुतोष वादी को प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है।

7. इस प्रकार विवाद्यत सं0 1 व 2 का विनिश्चय वादी अथवा प्रतिवादी किसी के भी पक्ष में तय नहीं किये गये है। लिहाजा उक्त वाद को अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

: आदेश ::–

अतः वादी जेबूनिशा की ओर से प्रस्तुत वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बंशीलाल व परमानन्द बाबत् वाद आदेशात्मक एवं स्थायी निषेधाज्ञा बलहीन होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना अपना स्वयं वहन करेंगे। तद्नुसार पर्चा डिक्री नियमानुसार बनाया जावे ।

(नमोनारायण मीना)
सिविल न्यायाधीश, कनवास जिला कोटा

निर्णय आज दिनांकः–07.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमोनारायण मीना)
सिविल न्यायाधीश, कनवास जिला कोटा